न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 117 / 2009

आरसीएमएस नं. 2009 / 00126

1. जलन्धरसिंह
2. गुरमुख सिह — पुत्रगण घुक्कर सिह जाति जटसिख नि0 सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तरसेम सिह

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगबूटसिंह — पुत्रगण गमदूर सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. जगरूप सिह
3. नंद सिह — पुत्र वरयाम सिंह जाति जटसिखनिवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. गरदूर सिंह

— रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बी, दिनांक 12.05.2008,
प्रकरण संख्या 148 / 2007

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री रमेश दास पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेण्ट
श्री खुशप्रीत सिह संधू अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 9-9-2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 3 ने रेस्पोडेण्ट संख्या 4 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष अधिकारों की घोषणा का एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

वाद पेश किया जो विचारण न्यायायल ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.2008 के द्वारा डिक्री किया गया था, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि वादी रेस्पोडेण्ट ने अपना कब्जा काश्त होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रुस्तत नहीं की है। रेस्पोडेण्टान व अन्य मुश्तर्का खातेदारान का विवावद इस आराजी हेतु विभिन्न अदालातें में राजस्व मण्डल में पम्मी बनाम मक्खनसिह के नाम से व दसूरास गुरदेवसिह बनाम गमदूर सिंह के नाम से अपील के रूप में जैरकार चल रहा है जिसमें पूर्व से ही स्थगन आदेश है। इसी प्रकार दो अपील पम्मी बनाम मक्खन सिह व गुरदेवसिह बनाम गमदूरसिह के नाम से अदालत हाजा में जैरकार जिसमें भी स्थनग आदेशहै। रेस्पेाडेण्ट ने रिकार्ड भी गुपचुप तरीके से अपने नाम बनवा लिया और यह वाद मिलीभगत कर दायर कर दिया अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी कायम नहीं की। स्टेट को पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलाण्ट के पिता एवं रेस्पोडेण्टान के मध्य कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अपीलाधीन निर्णय की अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी जानकारी होते ही यह अपील पेश कर दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्टान ने अपनी बहस में कथन कियाकि विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर रेस्पोडेण्टान को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की हैं जो सारहीन है। अपीलाण्ट ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडण्टान ने घोषणा का वाद पेश किया था जो अपीलाधीन निर्णय के द्वारा डिक्री किया गया है। अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने फार्म नं. 3 के साथ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 296/2007 गुरदेवसिंह बनाम गमदूरसिह की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टान के मध्य प्रश्नगत भूमि के संबंध में पूर्व में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस अपील को चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक ७.९.२१ को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

९/९/२१

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 117/2009

आरसीएमएस नं. 2009/00126

1. जलन्धरसिंह
2. गुरमुख सिह
3. तरसेम सिह

पुत्रगण घुक्कर सिह जाति जटसिख नि0 सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. जगबूटसिंह
2. जगरूप सिह

पुत्रगण गमदूर सिंह जाति जटसिख निवासी सिलवालाकलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

3. नंद सिह
4. गरदूर सिंह

पुत्र वरयाम सिंह जाति जटसिखनिवासी सिलवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी टिब्बो, दिनांक 12.05.2008,
प्रकरण संख्या 148/2007

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री रमेश दास पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेण्ट, श्री खुशप्रीत सिह संधू अभिभाषक रेस्पोडेंट की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 9.9.22 को जारी की गई।

9/9/22
(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ